संख्या–3-1679/दस–80––909-79

प्रेषक,

श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980

विषय––सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन संबंधी वर्तमान नियमों में अभी तक इस आशय का कोई विशिष्ट प्राविधान नहीं है कि सेवा निवृत्ति के दिनांक को, अथवा सेवा निवृत्त होने के उपरान्त यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच जारी हो अथवा जारी किया जाना अपेक्षित हो तो क्या उसे पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभदेय होंगे या नहीं। उक्त स्थिति में सामान्यतः अपनाये गये दृष्टिकोण और प्रयुक्त प्रक्रिया के अनुसार जबतक उस कार्यवाही अथवा जांच का परिणाम प्राप्त न हो जायं तब तक संबंधित सेवक को कोई पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है। उक्त कार्यवाहियों और जांच के पूरी होने और फिर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर अंतिम निर्णय लेने में अधिक समय भी लग सकता है और उस दशा में संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारी वर्षों तक सेवा नैवृत्तिक लाभों से वंचित रहता है जिससे उसे काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में कार्यवाही या जांच के परिणाम स्वरूप कर्मचारी निर्दोष पाया जा सकता है। इस प्रसंग में आपका ध्यान शा0 आ0 सं0 सा-3-2085,दस– 907/76, दिनांक 3–12–1977 की ओर भी आकर्षित करना है जिसमें ऐसे मामले में, जिनमें पेंशन ग्रेच्युटी की स्वीकृति और कागजात तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी न हो सके, अनन्तिम पेंशन व आनुतोषिक दिये जाने के के आदेश प्रसारित किये गये थे। इन आदेशों का लाभ भी उपर्युक्त कार्यवाही अथवा जांच क मामलों में नहीं मिल पाता है।

2––इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त तथा इस बात को देखते हुए कि राज्य में प्रयुक्त नियमों और आदेशों के अन्तर्गत सामान्यतः सेवा निवृत्त कर्मचारी को पेंशन तथा ग्रच्युटी के अन्तिम रूप से निर्धारित न हो सकने पर अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है, श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जिनके विरुद्ध सेवा निवृत्ति के समय विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत कर दिया जाय, किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान किसी भी दशा में उक्त कार्यवाही या जांच पूरी होने और अन्तिम निर्णय होने क पूर्व न किया जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियां की जायंगी जिनका उल्लेख विभागीय प्रशासनिक/कार्यवाही इत्यादि के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। ऐसे मामलों में अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति निम्न व्यवस्था के अधीन देय होगी––

(1) अनन्तिम पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक और यदि कर्मचारी सेवा निवृत्ति की तिथि को निलम्बित हो तो उसके निलम्बन के ठीक पहले की तिथि तक की अर्हकारी सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होती हो।

(2) यह पेंशन सेवा निवृत्ति की तिथि से उस दिनांक तक मिलेगी जब कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही जांच पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित करा दिय जाय, तथा

(3) इस अनन्तिम पेंशन का, कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त अन्ततः कर्मचारी को स्वीकृत होने वाली पेंशन में समायोजन कर लिया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप स स्वीकृति होने वाली पेंशन की राशि अनन्तिम पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या आस्थगित की जाय, तो कर्मचारी से कोई वसूली नहीं की जायगी।

3--उपर्युक्त व्यवस्था तुरन्त प्रभावी मानी जायेगी तथा पेंशन संबंधी नियम तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे और औपचारिक संशोधन बाद में यथा समय किये जायेंगे ।

4--कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें ।

भवदीय,
बाल कृष्ण चतुर्वेदी,
विशेष सचिव ।

संख्या 3-1679/दस-80--909-79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3--विधान परिषद सचिवालय ।
4--विधान सभा सचिवालय ।

आज्ञा से;
राधा रमन सिकरोरिया,
अनु सचिव ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--47 सा० भाषा-5-11-80(2089)--1980--10,000 (प्रो०) ।